भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5587

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर

5587. **श्री के. सी. वेणुगोपाल:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन स्टॉप केन्द्रों (ओएससी) द्वारा जिन महिलाओं की सहायता की गई है उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में दर्ज शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान ओएससी को आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा है क्या तथा धनराशि के उपयोग का प्रतिशत कितना है;

(घ) देशभर में ओएससी के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का ब्यौरा क्या तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक ओएससी का संचालन एक महिला द्वारा किया जाता है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल उप योजना का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2015 में योजना की शुरूआत के बाद से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) ने 28 फरवरी, 2025 तक 10.98 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित नवीनतम जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी को जारी की गई निधि का ब्यौरा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई निधि का प्रतिशत **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओएससी की प्रमुख एक महिला प्रशासक होती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार 13 व्यक्तियों के लिए ओएससी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें केंद्र प्रशासक (1), केस वर्कर (2), पैरा लीगल पर्सनेल/वकील (1), पैरा मेडिकल पर्सनेल (1), साइको-सोशल काउंसलर (1), कंप्यूटर ज्ञान वाला ऑफिस असिस्टेंट (1), मल्टीपर्पस स्टाफ/कुक (3) और प्रत्येक ओएससी के लिए सुरक्षा गार्ड/नाइट गार्ड (3) शामिल हैं। इसके अलावा, किराए के परिसर, पहले से मौजूद सरकारी भवनों या नए भवन के निर्माण में ओएससी की स्थापना के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ओएससी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी इसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है।

*****

<u>**अनुलग्नक- I**</u>

"वन स्टॉप सेंटर" के संबंध में श्री के सी वेणुगोपाल द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5587 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (स्रोत: एनसीआरबी)

क्रं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	17089	17752	25503
2	अरुणाचल प्रदेश	281	366	335
3	असम	26352	29046	14148
4	बिहार	15359	17950	20222
5	छतीसगढ़	7385	7344	8693
6	गोवा	219	224	273
7	गुजरात	8028	7348	7731
8	हरियाणा	13000	16658	16743
9	हिमाचल प्रदेश	1614	1599	1551
10	झारखंड	7630	8110	7678
11	कर्नाटक	12680	14468	17813
12	केरल	10139	13539	15213
13	मध्य प्रदेश	25640	30673	32765
14	महाराष्ट्र	31954	39526	45331
15	मणिपुर	247	302	248
16	मेघालय	568	685	690
17	मिजोरम	172	176	147
18	नागालैंड	39	54	49
19	ओडिशा	25489	31352	23648
20	पंजाब	4838	5662	5572
21	राजस्थान	34535	40738	45058
22	सिक्किम	140	130	179
23	तमिलनाडु	6630	8501	9207
24	तेलंगाना	17791	20865	22066
25	त्रिपुरा	874	807	752
26	उत्तर प्रदेश	49385	56083	65743

27	उत्तराखंड	2846	3431	4337
28	पश्चिम बंगाल	36439	35884	34738
	कुल राज्य	**357363**	**409273**	**426433**
संघ राज्य क्षेत्र				
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	143	169	178
30	चंडीगढ़	301	343	325
31	डीएंडएन हवेली और दमन और दीव	61	99	126
32	दिल्ली	10093	14277	14247
33	जम्मू और कश्मीर	3405	3937	3716
34	लद्दाख	9	18	15
35	लक्षद्वीप	15	9	16
36	पुडुचेरी	113	153	200
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**14140**	**19005**	**18823**
	अखिल भारत	**371503**	**428278**	**445256**

अनुलग्नक-II

"वन स्टॉप सेंटर" के संबंध में श्री के सी वेणुगोपाल द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5587 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी को जारी निधियों का ब्यौरा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई निधियों के प्रतिशत का ब्यौरा

(राशि लाख में)

क्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि का प्रतिशत
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	41.6	71%	38.59	94%	58.22	44%	15.2	29%	135.99	यूसीएनआर
2	आंध्र प्रदेश	260.99	85%	205.05	73%	249.57	79%	72.96	45%	605.58	69%
3	अरुणाचल प्रदेश	134.18	4%	514.14	6%	369.45	5%	40.39	यूसीएनआर	847.7	54%
4	असम	804.09	49%	642.14	73%	650.63	183%	129.61	396%	1755.48	73%
5	बिहार	1046.09	1%	709.66	0%	555.17	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
6	चंडीगढ़	15	151%	33.84	90%	15	200%	49.22	यूसीएनआर	16.8	यूसीएनआर
7	छतीसगढ़	677.38	74%	353.21	139%	526.86	90%	304.63	25%	882.44	61%
8	डीएनएचडीडी	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	50.39	यूसीएनआर
9	दिल्ली	390.97	28%	189.05	95%	184.69	121%	138.56	यूसीएनआर	184.78	120%
10	गोवा	15	यूसीएनआर	30.01	यूसीएनआर	30.01	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
11	गुजरात	679.52	91%	875.17	86%	997.46	64%	386.76	127%	1166.26	66%
12	हरियाणा	401.92	64%	398.44	86%	385.35	96%	186.75	35%	594.68	78%
13	हिमाचल प्रदेश	317.3	14%	204.05	7%	180.05	83%	18.9	1338%	403.15	97%

14	जम्मू और कश्मीर	96.39	39%	218.84	यूसीएनआर	323.09	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	335.96	106%
15	झारखंड	408.53	यूसीएनआर	697.25	7%	506.78	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
16	कर्नाटक	582.04	61%	729.09	94%	513.88	148%	130.88	467%	1054.13	23%
17	केरल	140.9	95%	243.06	68%	234.41	94%	139.28	82%	0	यूसीएनआर
18	लद्दाख	0	100%	65.45	33%	30.01	41%	0	यूसीएनआर	33.6	यूसीएनआर
19	लक्षद्वीप	20.91	यूसीएनआर	7.5	यूसीएनआर	15	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	16.8	यूसीएनआर
20	मध्य प्रदेश	1670.92	20%	1057.05	42%	921.41	55%	261.55	126%	820.48	137%
21	महाराष्ट्र	669.99	7%	646.2	1%	561.35	यूसीएनआर	69.37	470%	1539.69	80%
22	मणिपुर	248.84	97%	501.94	98%	396.59	191%	543.29	यूसीएनआर	268.77	88%
23	मेघालय	374.3	42%	211.62	85%	276.22	97%	232.77	4%	321.56	95%
24	मिजोरम	218.71	101%	172.64	144%	280.33	85%	178.05	यूसीएनआर	283.45	104%
25	नागालैंड	191.73	166%	329.91	92%	528.92	101%	197.41	यूसीएनआर	545.83	63%
26	ओडिशा	209.35	282%	931.55	90%	739.31	115%	614.67	39%	1084.95	71%
27	पुदुचेरी	43.76	यूसीएनआर	72.02	यूसीएनआर	67.24	यूसीएनआर	18.25	7%	0	यूसीएनआर
28	पंजाब	351.84	20%	490.61	15%	385.31	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	389.01	131%
29	राजस्थान	677.12	37%	566.87	58%	941.85	33%	129.59	51%	883.59	101%
30	सिक्किम	68.1	98%	66.02	100%	80.8	72%	77.48	यूसीएनआर	126.09	61%
31	तमिलनाडु	713.6	75%	1066.6	105%	520.38	135%	697.43	48%	1158.88	85%
32	तेलंगाना	624.47	112%	793.39	109%	945.98	102%	1392.65	यूसीएनआर	1217.41	81%
33	त्रिपुरा	60.02	यूसीएनआर	162.04	7%	135.75	यूसीएनआर	18.21	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
34	उत्तर प्रदेश	1231.94	15%	2288.33	1%	1396.79	यूसीएनआर	347	210%	1812.71	113%
35	उत्तराखंड	229.07	43%	273.09	यूसीएनआर	263.17	यूसीएनआर	153.33	9%	436.75	49%
36	पश्चिम बंगाल	95.46	यूसीएनआर	198.9	यूसीएनआर	227.32	यूसीएनआर	28.41	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
	कुल	**13712.04**		**15983.31**		**14,494.34**		**6,572.61**		**18,972.9**	

नोट: 100% से अधिक उपयोग पिछले वर्षों के दौरान जारी अनुदान के उपयोग के कारण हुआ है।

यूसीएनआर – उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*****